भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 5095

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 24 अप्रैल, 2015/4 वैशाख, 1937 (शक) को दिया गया)

<u>कंपनी अधिनियम का उल्लंघन</u>

5095. डा. मनोज राजोरिया :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इन कंपनियों का संज्ञान लिया है जिन्होंने कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन मामलों की संख्या कितनी है जिनकी जांच की गई है तथा जिन पर शास्ति अधिरोपित और वसूली गई है एवं उक्त अवधि के दौरान कितने अभियोजन/दोषसिद्ध किए गए हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरुण जेटली)**

(क) से (ग) : संगत अवधि के दौरान दायर अभियोजनो और लगाए गए जुर्मानों के ब्यौरे अनुलग्नक-I में दिए गए हैं।

*****

अनुलग्नक-I

दिनांक 24 अप्रैल, 2015 के लोक सभा में उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 5095 के प्रश्न संख्या (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

क. कंपनी रजिस्ट्रारों द्वारा पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (24 अप्रैल, 2015 तक) के दौरान दायर अभियोजनों और लगाए गए, वसूले गए जुर्मानों का ब्यौरा।

(आंकड़े रुपए में)

क्रम संख्या	वर्ष	दायर अभियोजन	लगाया गया जुर्माना
1.	2012-13	10,837	60,22,115
2.	2013-14	13,475	38,09,232
3.	2014-15	5,866	1,65,32,482
4.	2015-16 (20 अप्रैल, 2015 तक)	211	7,97,500
	योग	**30,389**	**2,71,61,329**

ख. गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) ने पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न न्यायालयों/मंचों में 230 शिकायतें दायर की हैं। इनका वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है -

क्रम संख्या	वर्ष	दायर शिकायतों की संख्या
1.	2012-13	50
2.	2013-14	94
3.	2014-15	86
	योग	**230**

इस अवधि में, एसएफआईओ द्वारा दायर मामलों के संबंध में 12 मामलों में दोषसिद्धि हुई है जिनमें लगभग 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। छः मामलों में संबंधित कंपनियों के निदेशकों को छः माह की कारावास की सजा दी गई है।

*****